प्रेषक,

अजय कुमार श्रीवास्तव III,
प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय,
हरदोई।

सेवा में,

महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
इलाहाबाद।

पत्र सं०– 97 हरदोई दिनांक– 14.03.24

विषयः–माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के परिपत्र सं० 8095/IVf-82/Admin.A-14/ Dated June, 2023 के अनुपालन में चश्मे में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अनुरोध।

महोदय,

ससम्मान् अवगत कराना है कि मेरे दोनो नेत्रों में धुंधला दिखने व दर्द होने के कारण मैने अपने नेत्रो का परीक्षण नेत्र विशेषज्ञ डा० रवीन्द्र कुमार, जिला चिकित्सालय, हरदोई के द्वारा कराया और उन्होने मेरे दोनो नेत्रो का परीक्षण करने के पश्चात मुझे पहने हुये चश्मे के लेंस को परीक्षण के अनुरूप उपयुक्त न पाते हुये उक्त चश्मे को बदलने हेतु परामर्श दिया। उक्त परामर्श के पश्चात मैने दिनांक 09.10.2023 को Precision Eye Care लखनऊ में पुनः अपने नेत्रो का परीक्षण डा० सुनील कुमार सिंह नेत्र विशेषज्ञ से कराया जिन्होने मेरे नेत्रो का परीक्षण किया और पहने हुये चश्मे को परीक्षण के अनुरूप बदलने का परामर्श उनके द्वारा भी दिया गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा ए०बी०सी० चश्मे वाले से चश्मा बनवाया गया। उक्त चश्मे के फ्रेम व लेन्स हेतु मेरे द्वारा कुल 25,500/–रूपये का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त परामर्श फीस 1500/–रूपये व दवा आदि में हुये कुल व्यय 27,759/–रूपये का भुगतान मेरे द्वारा किया गया।

मैने चश्मे पर हुये उक्त व्यय का तकनीकी परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरदोई द्वारा कराया। उक्त तकनीकी परीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न है। गौर तलब है कि मेरे द्वारा दिनांक 06.03.2021 को पूर्व में तीन वर्ष पहले अपने चश्मे पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति धनराशि पीठासीन अधिकारी एम०ए०सी०टी०, बहराईच के पद पर कार्यरत रहने के दौरान प्राप्त की थी। इसी कारण दिनांक 06.03.2024 को तीन वर्ष के पश्चात प्रतिपूर्ति हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत दावा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैने अण्डर टेकिंग भी अपने दावे के साथ संलग्न की है।

इस प्रकार महोदय से विनम्र अनुरोध है कि परिपत्र सं० 8095/IVf-82/Admin.A-14/ Dated June, 2023 के आलोक में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये चश्मे के फ्रेम व लेन्स हेतु मेरे द्वारा कुल व्यय धनराशि

14/03/24

की प्रतिपूर्ति हेतु दावा 27,759/-रूपये व तकनीकी परीक्षण आख्या इस आशय से प्रेषित की जा रही है जिससे चश्मे पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान नियमानुसार मुझे माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के पश्चात किया जाये।

सादर।

दिनांक-14.03.2024

भवदीय,

A.K.S. 14.03.24

(अजय कुमार श्रीवास्तव III)
प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय,
हरदोई।

संलग्नक-

1-जिला चिकित्सालय, हरदोई का पर्चा

2-सर्टिफिकेट ए पर आवेदन व समस्त हस्ताक्षरित मूल बिल व पर्चे।

3-अन्डरटेकिंग

4-लेखा लिपिक, परिवार न्यायालय, हरदोई की आख्या।

5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय,हरदोई से प्राप्त तकनीकी परीक्षण आख्या दिनांकित 13.3.2024

Note:- मैंने प्रस्तुत आवेदन को e-court Services Portal पर भी Apply कर दिया है।

A.K.S. 14.03.24,